

Intelligentsia International Journal Of Multidisciplinary Research**भारत में मध्याह्न भोजन कार्यक्रम का विद्यालयों में अध्ययनरत बच्चों के स्वास्थ्य एवं पोषण पर प्रभाव – एक अध्ययन****माधुरी कुमारी¹**

शोध छात्रा

विश्वविद्यालय गृहविज्ञान विभाग

बिनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय, धनबाद (झारखण्ड)

डॉ. सीमा कुमारी²

सह प्राध्यापिका व विभागाध्यक्षा

विश्वविद्यालय गृहविज्ञान विभाग

बिनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय, धनबाद (झारखण्ड)

शोध सारांश

शिक्षा का सार्वभौमिकरण वैश्विक शिक्षा व्यवस्था की एक महत्वपूर्ण एवं अनिवार्य प्रक्रिया है, जिसके अंतर्गत यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया है कि विश्व के प्रत्येक बालक और बालिका को कम से कम प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर तक गुणवत्तापूर्ण, समान एवं सुलभ शिक्षा प्राप्त हो सके। यह अवधारणा इस मान्यता पर आधारित है कि शिक्षा सामाजिक, आर्थिक एवं मानव संसाधन विकास का मूल आधार है। भारत जैसे विकासशील देशों के लिए यह और भी अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि कई सामाजिक एवं आर्थिक समस्याएँ लंबे समय से बच्चों की विद्यालय तक पहुँच को बाधित करती रही हैं। इनमें गरीबी, कुपोषण, बाल श्रम तथा उचित भोजन की अनुपलब्धता जैसी समस्याएँ प्रमुख हैं, जो बच्चों की उपस्थिति, स्वास्थ्य एवं सीखने की क्षमता को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती हैं। इन समस्याओं के समाधान हेतु भारत सरकार द्वारा प्रारंभ की गई मध्याह्न भोजन योजना एक महत्वपूर्ण पहल की। 15 अगस्त 1995 को केन्द्रीय प्रायोजित योजना के रूप में प्रारंभिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पोषणिक सहायता कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इस योजना का मुख्य उद्देश्य विद्यालयी बच्चों को पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराकर उनकी शैक्षणिक सहभागिता को बढ़ावा देना था। इस योजना के महत्व एवं प्रभाव को इस तथ्य से समझा जा सकता है कि इससे न केवल सकल नामांकन दर में उल्लेखनीय वृद्धि हुई, बल्कि देश के करोड़ों बच्चों के स्वास्थ्य स्तर में भी सुधार हुआ, जो लंबे समय से पोषक भोजन की कमी से जूझ रहे थे। विभिन्न अध्ययनों के विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि इस योजना ने बच्चों के शारीरिक एवं मानसिक विकास पर सकारात्मक प्रभाव डाला है। साथ ही, इससे विद्यालयों में नामांकन, नियमित उपस्थिति तथा प्रतिधारण दर में भी निरंतर सुधार देखा गया है। यद्यपि इस दिशा में निरंतर सुधार के लिए प्रयास किए जा रहे हैं किंतु अभी भी लक्षित प्रयास की आवश्यकता है।

कुंजी शब्द : मध्याह्न भोजन कार्यक्रम, कुपोषण, खाद्य सुरक्षा, बाल स्वास्थ्य एवं पोषण**प्रकाशन समयरेखा:**

मूल पाण्डुलिपि प्राप्त – 11 जनवरी, 2026; सहकर्मी समीक्षण पूर्ण – 17 जनवरी, 2026; संशोधित पाण्डुलिपि प्राप्त – 20 जनवरी, 2026; स्वीकृत एवं प्रकाशित – 26 जनवरी, 2026

अनुशंसित संदर्भ

कुमारी, मा. एवं कुमारी, सी. (2026). भारत में मध्याह्न भोजन कार्यक्रम का विद्यालयों में अध्ययनरत बच्चों के स्वास्थ्य एवं पोषण पर प्रभाव – एक अध्ययन. इंटेलिजेंटिसिया इंटरनेशनल जर्नल ऑफ मल्टीडिसिप्लिनरी रिसर्च, 2(1), 41–49.

परिचय

मिड-डे मील (मध्याह्न भोजन) योजना भारत में स्कूली बच्चों के पोषण स्तर और शैक्षिक सहभागिता को बढ़ाने हेतु संचालित विश्व की सबसे बड़ी स्कूल फीडिंग योजना है, जिसे 15 अगस्त 1995 को केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर "प्राथमिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पोषणिक सहायता कार्यक्रम (NP-NSPE)" के रूप में लागू किया गया। प्रारंभ में इस योजना के अंतर्गत बच्चों को सूखा राशन प्रदान किया जाता था, किंतु वर्ष 2001 में सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के पश्चात सभी सरकारी एवं सहायता प्राप्त विद्यालयों में पका हुआ भोजन उपलब्ध कराना अनिवार्य कर दिया गया। इसके बाद सितंबर 2004 में योजना में संशोधन कर भोजन की गुणवत्ता में सुधार किया गया, जिससे बच्चों को प्रतिदिन लगभग 300 कैलोरी और 8 से 12 ग्राम प्रोटीन युक्त आहार मिलने लगा। वर्ष 2007-08 में इस योजना का विस्तार उच्च प्राथमिक स्तर तक किया गया तथा 2009 से रसोइया-सह-सहायक की नियुक्ति कर उन्हें मानदेय प्रदान किया जाने लगा। वर्ष 2021-22 में इसका नाम बदलकर "प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण (पीएम-पोषण)" कर दिया गया। इस योजना का मुख्य उद्देश्य बच्चों में कुपोषण को दूर करना, नामांकन एवं उपस्थिति बढ़ाना, ड्रॉपआउट दर को कम करना तथा सामाजिक समानता को प्रोत्साहित करना है। वर्तमान में यह योजना करोड़ों बच्चों के लिए पोषण का प्रमुख स्रोत बनकर शिक्षा और सामाजिक न्याय को सुदृढ़ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। इस योजना के विविध आयामों पर पिछले लगभग तीन दशकों में विभिन्न विषयों के अंतर्गत हजारों शोध किए जा चुके हैं, इसके बावजूद यह आज भी अध्ययन के लिए एक अत्यंत प्रासंगिक विषय बना हुआ है। इसके पीछे कई महत्वपूर्ण कारण हैं। वर्तमान समय में भी भारत में बाल स्वास्थ्य एक गंभीर चिंता का विषय बना हुआ है। देश का विशाल भौगोलिक क्षेत्रफल तथा सामाजिक-सांस्कृतिक विविधता प्रत्येक राज्य एवं क्षेत्र की विशिष्ट आवश्यकताओं को जन्म देती है, जिसके कारण योजना के क्रियान्वयन में एकरूपता बनाए रखना चुनौतीपूर्ण हो जाता है। इसके अतिरिक्त, अनेक विद्यालयों में आज भी मध्याह्न भोजन की गुणवत्ता, स्वच्छता एवं पोषण स्तर से संबंधित समस्याएँ बनी हुई हैं। साथ ही, भारत में अब भी बड़ी संख्या में ऐसे बच्चे हैं जो नियमित रूप से विद्यालय नहीं जाते हैं अथवा बीच में ही पढ़ाई छोड़ देते हैं, जिनका एक प्रमुख कारण भोजन एवं पोषण की अपर्याप्तता है। आर्थिक कमजोरी, पारिवारिक जिम्मेदारियाँ तथा सामाजिक असमानता भी इस समस्या को और गंभीर बनाती हैं।

अध्ययन का उद्देश्य एवं शोध विधि

प्रस्तुत अध्ययन एक वर्णनात्मक (वर्णनात्मक) प्रकृति का है, जिसका मुख्य उद्देश्य पूर्व में किए गए अध्ययनों, शोध पत्रों, पुस्तकों, सरकारी प्रतिवेदनों तथा अन्य उपलब्ध द्वितीयक स्रोतों से प्राप्त सूचनाओं का विश्लेषण करना है। इस अध्ययन के माध्यम से मध्याह्न भोजन योजना के विभिन्न महत्वपूर्ण पक्षों, विद्यालय में अध्ययनरत बच्चों के स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर पर इसके प्रभाव, योजना के क्रियान्वयन से जुड़ी समस्याओं तथा इसके अधिक प्रभावी संचालन हेतु आवश्यक सुधारात्मक उपायों का मूल्यांकन किया गया है। प्राप्त तथ्यों के आधार पर योजना की उपलब्धियों, सीमाओं एवं संभावनाओं का समग्र आकलन कर व्यावहारिक एवं नीतिगत सुझाव प्रस्तुत किए गए हैं, जिससे इस योजना को अधिक सुदृढ़, गुणवत्तापूर्ण एवं जनकल्याणकारी बनाया जा सके।

मध्याह्न भोजन स्कीम के अंतर्गत वर्तमान प्रावधान

भारत के शिक्षा मंत्रालय के अद्यतन रिपोर्ट (10 अप्रैल, 2025 के अनुसार प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण (PM POSHAN) योजना के अंतर्गत बालवाटिका से कक्षा 1 से 8 तक के लगभग 11.20 करोड़ विद्यार्थियों को 10.36 लाख सरकारी एवं सहायता प्राप्त विद्यालयों में प्रत्येक विद्यालयी दिवस पर गर्म पका हुआ भोजन प्रदान किया जाता है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य बच्चों को पोषण सहायता प्रदान करना तथा विद्यालय में उनकी

भागीदारी बढ़ाना है। श्रम ब्यूरो, श्रम मंत्रालय द्वारा उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI-RL) के आधार पर महँगाई के आँकड़ों का विश्लेषण किया जाता है। इन्हीं आँकड़ों के आधार पर वर्ष 2025 में शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सामग्री लागत में 9.50% की वृद्धि की गई है, जो 1 मई 2025 से सभी राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों में लागू होगी। इस वृद्धि के कारण केंद्र सरकार पर वर्ष 2025-26 में लगभग 954 करोड़ रुपये का अतिरिक्त भार पड़ेगा।

तालिका : 01

प्रति छात्र प्रति भोजन सामग्री की मात्रा

| सामग्री | बालवाटिका एवं प्राथमिक | उच्च प्राथमिक |
|---------|------------------------|-----------------|
| दाल | 20 ग्राम | 30 ग्राम |
| सब्जी | 50 ग्राम | 75 ग्राम |
| तेल | 5 ग्राम | 7.5 ग्राम |
| मसाले | आवश्यकता अनुसार | आवश्यकता अनुसार |
| ईंधन | आवश्यकता अनुसार | आवश्यकता अनुसार |


स्रोत : शिक्षा मंत्रालय. (2025, अप्रैल 10). प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण (पीएम पोषण) योजना के अंतर्गत "मटीरियल कॉस्ट" में वृद्धि (आज़ादी का अमृत महोत्सव). प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो, भारत सरकार.

तालिका : 02

प्रति छात्र प्रतिदिन सामग्री लागत (रुपये में)

| कक्षा स्तर | पूर्व सामग्री लागत | संशोधित सामग्री लागत (01.05.2025 से) | वृद्धि |
|---------------|--------------------|--------------------------------------|--------|
| बालवाटिका | 6.19 | 6.78 | 0.59 |
| प्राथमिक | 6.19 | 6.78 | 0.59 |
| उच्च प्राथमिक | 9.29 | 10.17 | 0.88 |

स्रोत :शिक्षा मंत्रालय. (2025, अप्रैल 10). प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण (पीएम पोषण) योजना के अंतर्गत "मटीरियल कॉस्ट" में वृद्धि (आज़ादी का अमृत महोत्सव). प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो, भारत सरकार.



चित्र संख्या -01

उपरोक्त आँकड़ों के विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि वर्ष 2025 में सामग्री लागत में 9.50 प्रतिशत की वृद्धि यह संकेत देती है कि बढ़ती महँगाई के बावजूद सरकार योजना की गुणवत्ता बनाए रखने के प्रति सजग है। बालवाटिका एवं प्राथमिक स्तर पर प्रति छात्र सामग्री लागत 6.19 रुपये से बढ़ाकर 6.78 रुपये तथा उच्च प्राथमिक स्तर पर 9.29 रुपये से बढ़ाकर 10.17 रुपये की गई है, जिससे भोजन की गुणवत्ता में सुधार संभव हुआ है। इसके अतिरिक्त, केंद्र सरकार द्वारा प्रतिवर्ष लगभग 26 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न की आपूर्ति एवं लगभग 9000 करोड़ रुपये की सब्सिडी प्रदान करना योजना की मजबूती को दर्शाता है।

मध्याह्न भोजन स्कीम हेतु जारी राशी

निचे तालिका -03 प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण (PM POSHAN) योजना के लिए केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर पर्याप्त बजटीय आवंटन को दर्शाया गया है। वर्ष 2007-08 में जहाँ बजट अनुमान 7,324 करोड़ रुपये था, वहीं धीरे-धीरे इसमें निरंतर वृद्धि होती गई और वर्ष 2025-26 में यह बढ़कर 12,500 करोड़ रुपये तक पहुँच गया। यह वृद्धि सरकार की इस योजना के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाती है। अधिकांश वर्षों में यह देखा गया है कि संशोधित अनुमान और जारी राशि, बजट अनुमान के काफी निकट रही है, जिससे धनराशि के प्रभावी उपयोग का संकेत मिलता है। विशेष रूप से वर्ष 2020-21 और 2022-23 में संशोधित अनुमान एवं जारी राशि में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई, जो कोविड-19 महामारी के दौरान बच्चों के पोषण पर विशेष ध्यान दिए जाने को दर्शाती है। हालांकि, कुछ वर्षों में जारी राशि बजट अनुमान से कम रही है, जिससे क्रियान्वयन में कुछ प्रशासनिक या संरचनात्मक चुनौतियों का संकेत मिलता है। समग्र रूप से यह कहा जा सकता है कि सरकार द्वारा लगातार बढ़ता वित्तीय समर्थन इस योजना को मजबूत बनाने में सहायक रहा है।

तालिका : 03


प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण (PM POSHAN) योजना : वर्षवार बजटीय आवंटन

(राशि करोड़ रुपये में)

| वित्तीय वर्ष | बजट अनुमान (BE) | संशोधित अनुमान (RE) | जारी राशि (Releases) |
|--------------|-----------------|---------------------|----------------------|
| 2025-26 | 12,500.00 | — | 5,628.09 |
| 2024-25 | 12,467.39 | 10,000.00 | 9,902.99 |
| 2023-24 | 11,600.00 | 10,000.00 | 8,457.74 |
| 2022-23 | 10,233.75 | 12,800.00 | 12,681.03 |
| 2021-22 | 11,500.00 | 10,233.75 | 10,233.75 |
| 2020-21 | 11,000.00 | 12,900.00 | 12,882.11 |
| 2019-20 | 11,000.00 | 9,912.21 | 9,629.35 |
| 2018-19 | 10,500.00 | 9,947.74 | 9,518.08 |
| 2017-18 | 10,000.00 | 10,000.00 | 9,095.81 |
| 2016-17 | 9,700.00 | 9,700.00 | 9,483.40 |
| 2015-16 | 9,236.40 | 9,236.40 | 9,151.55 |
| 2014-15 | 13,215.00 | 11,050.90 | 10,526.97 |
| 2013-14 | 13,215.00 | 12,189.16 | 10,927.21 |
| 2012-13 | 11,937.00 | 11,500.00 | 10,867.90 |
| 2011-12 | 10,380.00 | 10,239.01 | 9,901.91 |
| 2010-11 | 9,440.00 | 9,440.00 | 9,128.44 |
| 2009-10 | 8,000.00 | 7,359.15 | 6,937.79 |
| 2008-09 | 8,000.00 | 8,000.00 | 6,539.52 |
| 2007-08 | 7,324.00 | 6,678.00 | 5,835.44 |

स्रोत : पीएम पोषण ऑफिसियल वेबसाइट

<https://pmposhan.education.gov.in/Union%20Budgetary.html>



चित्र संख्या -02

भारत में मध्याह्न भोजन कार्यक्रम का विद्यालयों में अध्ययनरत बच्चों के स्वास्थ्य एवं पोषण पर प्रभाव

भारत में मध्याह्न भोजन कार्यक्रम (प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना) का विद्यालयों में अध्ययनरत बच्चों के स्वास्थ्य एवं पोषण पर प्रभाव विषय पर अनेक विद्वानों द्वारा महत्वपूर्ण शोध किए गए हैं। हक (2023) के अध्ययन में यह स्पष्ट किया गया है कि मध्याह्न भोजन योजना का बच्चों के बॉडी मास इंडेक्स (बीएमआई) पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। अध्ययन में यह पाया गया कि निम्न सामाजिक-आर्थिक वर्ग के अधिकांश बच्चे इस योजना पर निर्भर हैं। साथ ही यह भी देखा गया कि लड़कियों में भोजन छोड़ने की प्रवृत्ति अधिक है, जबकि नियमित भोजन करने वाले बच्चों में शैक्षणिक प्रदर्शन बेहतर पाया गया। गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले बच्चों में कुपोषण की समस्या अधिक पाई गई। खेड़ा (2006) के एक अध्ययन के अनुसार, इस योजना के कारण प्राथमिक विद्यालयों में नामांकन दर में 18 से 21 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई है। कुछ अध्ययनों में कक्षा एक में नामांकन की संभावना में लगभग 63 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है, जो इस योजना की प्रभावशीलता को दर्शाता है। इससे स्पष्ट होता है कि मध्याह्न भोजन बच्चों को विद्यालय से जोड़ने में एक महत्वपूर्ण प्रेरक तत्व के रूप में कार्य करता है। वहीं स्वास्थ्य एवं पोषण को लेकर और भी अधिक लक्ष्यकेन्द्रित कार्य करने की आवश्यकता को रेखांकित किया है।

इसी प्रकार सिंह एवं अन्य (2022) के अनुसार, यह योजना कुपोषण को कम करने, उपस्थिति बढ़ाने, ड्रॉपआउट दर घटाने तथा सामाजिक समानता को बढ़ावा देने में सहायक है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के बाद विद्यालय प्रबंधन समितियों द्वारा इसकी निगरानी से योजना के क्रियान्वयन में सुधार हुआ है। इनका अध्ययन यह भी दर्शाता है कि इस योजना का प्रभाव स्थानीय समुदायों पर भी सकारात्मक पड़ा है। वहीं सिंह, पार्क एवं डर्कन (2014) ने आंध्र प्रदेश के आँकड़ों के आधार पर यह सिद्ध किया कि सूखे जैसी आपदाओं के समय यह योजना बच्चों के लिए सुरक्षा कवच का कार्य करती है। इससे बच्चों के पोषण स्तर में सुधार हुआ तथा

उनके स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव कम हुआ। यह योजना संकट की स्थिति में सामाजिक सुरक्षा तंत्र के रूप में भी उपयोगी सिद्ध हुई है।

इसके विपरीत, देवधर एवं अन्य व घोष एवं ब्रगांजा (2010, 2007) ने अपने अध्ययनों में योजना की कुछ गंभीर कमियों की ओर संकेत किया है। उनके अनुसार, भोजन में प्रोटीन, आयरन, आयोडीन एवं वसा जैसे पोषक तत्वों की कमी पाई गई है। साथ ही, खाद्य सुरक्षा से संबंधित समस्याएँ, जैसे अफ्लाटॉक्सिन की उपस्थिति, भी सामने आई हैं। उन्होंने निजी संस्थाओं एवं गैर-सरकारी संगठनों के सहयोग से भोजन की गुणवत्ता सुधारने का सुझाव दिया है। साहनी (2014) ने योजना के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु कर्मचारियों को पोषण, स्वच्छता एवं खाद्य सुरक्षा का प्रशिक्षण देने पर बल दिया है। उन्होंने गुजरात एवं कर्नाटक मॉडल को अपनाने की आवश्यकता पर जोर दिया है। वहीं, गोपाल एवं सिंह (2021) ने इस योजना को समावेशी विकास का सशक्त माध्यम बताया है, जो समाज के कमजोर वर्ग के बच्चों के स्वास्थ्य एवं शैक्षणिक उपलब्धि में सुधार करता है। उपरोक्त अध्ययनों से यह स्पष्ट होता है कि मध्याह्न भोजन योजना ने बच्चों के स्वास्थ्य, पोषण, नामांकन एवं उपस्थिति में उल्लेखनीय सुधार किया है। हालांकि, भोजन की गुणवत्ता, पोषण संतुलन एवं प्रबंधन से जुड़ी समस्याएँ अभी भी बनी हुई हैं। अतः निरंतर मूल्यांकन, प्रभावी निगरानी तथा पोषण सुधार के माध्यम से इस योजना को और अधिक सुदृढ़ बनाना आवश्यक है, ताकि प्रत्येक बच्चे को स्वस्थ एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त हो सके।

चुनौतियाँ एवं बेहतर क्रियान्वयन हेतु सुझाव

मध्याह्न भोजन /प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना भारत की एक महत्वपूर्ण कल्याणकारी योजना है, किंतु इसके प्रभावी क्रियान्वयन में अनेक समस्याएँ एवं चुनौतियाँ अभी भी विद्यमान हैं। सर्वप्रथम, इस योजना के लिए उपलब्ध बजटीय प्रावधान वर्तमान आवश्यकताओं की तुलना में अपर्याप्त प्रतीत होते हैं। बढ़ती महँगाई के कारण भोजन सामग्री की लागत निरंतर बढ़ रही है, जबकि प्रति विद्यार्थी भोजन पर किया जाने वाला व्यय सीमित है। परिणामस्वरूप, कई विद्यालयों में भोजन की गुणवत्ता प्रभावित होती है। दूसरी प्रमुख समस्या भुगतान में देरी की है। रसोइयों, आपूर्तिकर्ताओं तथा संबंधित कर्मचारियों को समय पर मानदेय एवं भुगतान न मिलने से कार्य में असंतोष उत्पन्न होता है। इसके अतिरिक्त, सामग्री प्रबंधन, रसोइया व्यवस्था, विद्यालय प्रबंधन समिति तथा प्रशासनिक तंत्र के बीच समुचित समन्वय का अभाव भी योजना की प्रभावशीलता को कमजोर करता है। कई स्थानों पर रसोईघर, स्वच्छता सुविधाएँ, सुरक्षित जल एवं भंडारण व्यवस्था का अभाव देखा जाता है। साथ ही, समुदाय एवं अभिभावकों की सीमित भागीदारी के कारण सामाजिक निगरानी कमजोर रहती है। इसके अलावा, प्रभावी निगरानी एवं मूल्यांकन प्रणाली के अभाव में अनियमितताओं, भ्रष्टाचार तथा लापरवाही की संभावना बनी रहती है। तकनीकी संसाधनों की कमी और प्रशिक्षण के अभाव से भी योजना के संचालन में बाधाएँ उत्पन्न होती हैं। इस संदर्भ में निम्न सुझाव इसके बेहतर क्रियान्वयन के दिशा में महत्वपूर्ण हैं -

- योजना के अंतर्गत बजटीय प्रावधानों में नियमित एवं पर्याप्त वृद्धि की जानी चाहिए, जिससे बढ़ती महँगाई के प्रभाव को संतुलित किया जा सके तथा भोजन की गुणवत्ता सुनिश्चित की जा सके।
- रसोइयों, आपूर्तिकर्ताओं एवं अन्य संबंधित कर्मियों को भुगतान की प्रक्रिया को पूर्णतः डिजिटल एवं समयबद्ध बनाया जाना चाहिए, ताकि आर्थिक असंतोष एवं कार्य में बाधा की स्थिति उत्पन्न न हो।
- प्रति विद्यार्थी भोजन पर किए जाने वाले व्यय में यथोचित वृद्धि की जानी चाहिए, जिससे बच्चों को संतुलित, पौष्टिक एवं पर्याप्त आहार उपलब्ध कराया जा सके।

- भोजन की गुणवत्ता, पोषण मानकों एवं स्वच्छता स्तर की नियमित निगरानी हेतु प्रभावी निरीक्षण व्यवस्था विकसित की जानी चाहिए।
- रसोइयों एवं कर्मचारियों को पोषण, स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं खाद्य सुरक्षा से संबंधित नियमित प्रशिक्षण प्रदान किया जाना चाहिए, जिससे भोजन की गुणवत्ता में निरंतर सुधार हो सके।
- विद्यालय प्रबंधन समितियों को अधिक सशक्त बनाते हुए उन्हें योजना के संचालन, निगरानी एवं मूल्यांकन में सक्रिय भूमिका प्रदान की जानी चाहिए।
- अभिभावकों, स्थानीय समुदाय एवं सामाजिक संगठनों की भागीदारी को प्रोत्साहित कर सामाजिक उत्तरदायित्व एवं पारदर्शिता को सुदृढ़ किया जाना चाहिए।
- योजना की निगरानी हेतु सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी आधारित ऑनलाइन रिपोर्टिंग एवं ट्रेकिंग प्रणाली विकसित की जानी चाहिए।
- विद्यालयों में स्वच्छ रसोईघर, सुरक्षित पेयजल व्यवस्था तथा उपयुक्त भंडारण सुविधाओं का विस्तार किया जाना चाहिए।
- निजी संस्थानों, गैर-सरकारी संगठनों एवं कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) के माध्यम से अतिरिक्त संसाधन एवं तकनीकी सहयोग प्राप्त किया जाना चाहिए।
- योजना की प्रभावशीलता का आकलन करने हेतु समय-समय पर स्वतंत्र एवं निष्पक्ष मूल्यांकन अध्ययन कराए जाने चाहिए।
- शिकायत निवारण तंत्र को सरल, सुलभ एवं समयबद्ध बनाया जाना चाहिए, जिससे हितग्राहियों की समस्याओं का शीघ्र समाधान सुनिश्चित हो सके।

निष्कर्ष

प्रस्तुत अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि यह योजना भारत में विद्यालयों में अध्ययनरत बच्चों के स्वास्थ्य, पोषण एवं शैक्षणिक सहभागिता को सुदृढ़ करने की दिशा में एक अत्यंत महत्वपूर्ण एवं प्रभावी पहल है। विभिन्न अध्ययनों एवं उपलब्ध द्वितीयक आँकड़ों के विश्लेषण से यह प्रमाणित होता है कि इस योजना ने विशेष रूप से सामाजिक एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के बच्चों में नामांकन, उपस्थिति एवं प्रतिधारण दर में उल्लेखनीय सुधार किया है। साथ ही, बच्चों के पोषण स्तर एवं स्वास्थ्य संकेतकों पर भी इसका सकारात्मक प्रभाव परिलक्षित होता है। हालाँकि, अध्ययन यह भी दर्शाता है कि योजना के प्रभावी क्रियान्वयन में अभी अनेक संरचनात्मक एवं प्रशासनिक चुनौतियाँ बनी हुई हैं। सीमित बजटीय प्रावधान, भुगतान में देरी, प्रति विद्यार्थी कम भोजन व्यय, भोजन की गुणवत्ता एवं स्वच्छता से जुड़ी समस्याएँ, विभिन्न हितधारकों के बीच समन्वय का अभाव तथा कमजोर निगरानी तंत्र जैसी बाधाएँ योजना की पूर्ण क्षमता को सीमित करती हैं। इसके अतिरिक्त, समुदाय एवं अभिभावकों की अपेक्षित भागीदारी का अभाव भी सामाजिक निगरानी को कमजोर करता है। अतः यह आवश्यक है कि योजना को केवल एक कल्याणकारी कार्यक्रम के रूप में नहीं, बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य एवं सामाजिक न्याय के समन्वित मॉडल के रूप में देखा जाए। बजटीय सुदृढीकरण, समयबद्ध भुगतान प्रणाली, पोषण मानकों में सुधार, मानव संसाधन विकास, तकनीक आधारित निगरानी तथा समुदाय की सक्रिय भागीदारी के माध्यम से इस योजना को

और अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है। समग्र रूप से, यदि इन सुधारात्मक उपायों को गंभीरता से लागू किया जाए, तो मध्याह्न भोजन योजना न केवल बच्चों के पोषण एवं स्वास्थ्य में सुधार करेगी, बल्कि समावेशी एवं समान शिक्षा व्यवस्था के निर्माण में भी एक सशक्त आधार सिद्ध होगी।

संदर्भ सूची

1. करांडे, एस., एवं गोगटे, एन. जे. (2014). इम्पैक्ट ऑफ द मिड-डे मील स्कीम इन इंडिया. जर्नल ऑफ पोस्टग्रेजुएट मेडिसिन, 60(2), 113-115.
2. कौर, आर. (2021). एस्टीमेटिंग द इम्पैक्ट ऑफ स्कूल फीडिंग प्रोग्राम्स: एविडेंस फ्रॉम मिड-डे मील स्कीम ऑफ इंडिया. इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन रिव्यू, 84, 102171.
3. गोपाल, आर., एवं सिंह, आर. (2021). हाफ-हार्टेड रिफॉर्म्स इन मिड-डे मील स्कीम इन इंडिया. टर्किश जर्नल ऑफ फिजियोथेरेपी एंड रिहैबिलिटेशन, 32(3), 32636-32643.
4. देवधर, एस. वाई., महादिरट्टा, एस., रमानी, के. वी., मावलंकर, डी. वी., घोष, एस., एवं ब्रगांज़ा, वी. एस. (2007). मिड-डे मील स्कीम: अंडरस्टैंडिंग क्रिटिकल इश्यूज़ विद रेफरेंस टू अहमदाबाद सिटी. आईआईएम, पृष्ठ संख्या - 1-29.
5. देवधर, एस. वाई., महादिरट्टा, एस., रमानी, के. वी., मावलंकर, डी., घोष, एस., एवं ब्रगांज़ा, वी. (2010). एन इवैल्युएशन ऑफ मिड-डे मील स्कीम. जर्नल ऑफ इंडियन स्कूल ऑफ पॉलिटिकल इकॉनॉमी, 22(1-4), 33-49.
6. पल्लासिंह, टी., एवं भुए, पी. (2022). एफिकेसी ऑफ मिड-डे मील स्कीम इन इंडिया: चैलेंजेज़ एंड पॉलिसी कंसर्न्स. इंडियन जर्नल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, 68(4), 610-623.
7. शिक्षा मंत्रालय. (2025, अप्रैल 10). प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण (पीएम पोषण) योजना के अंतर्गत "मटीरियल कॉस्ट" में वृद्धि (आज़ादी का अमृत महोत्सव). प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो, भारत सरकार.
8. सहाय, सी. एस. (2014). मिड-डे मील स्कीम: अचीवमेंट्स एंड चैलेंजेज़. इंटरनेशनल जर्नल ऑफ ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंस इन्वेंशन, 3(10), 6-9.
9. सिंह, ए., पार्क, ए., एवं डेरकॉन, एस. (2014). स्कूल मील्स ऐज़ अ सेफ्टी नेट: एन इवैल्युएशन ऑफ द मिड-डे मील स्कीम इन इंडिया. इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड कल्चरल चेंज, 62(2), 275-306.
10. स्रोत :पीएम पोषण ऑफिसियल वेबसाइट
<https://pmposhan.education.gov.in/Union%20Budgetary.html> 10 जनवरी 2026 को प्राप्त.
11. हक्र, एम. ए. (2023). मिड-डे मील स्कीम इन इंडिया: करंट स्टेटस, क्रिटिकल इश्यूज़ एंड चैलेंजेज़. इंटरनेशनल जर्नल ऑफ एजुकेशन, लैंग्वेज एंड सोशल साइंस, 1(2), 106-122.
